



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-377/2022

दिनांक- 12-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति  
थाना सिधारी

20 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

## पूर्व की घटना:-

➔ दिनांक 07.05.2020 को थाना गम्भीरपुर के तात्कालीन प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह को मदारपुर प्राइमरी पाठशाला व टावर के पास गौकशी की सूचना प्राप्त हुयी मौके पर छापामारी के दौरान 109 किलोग्राम गोमांश, दो गाय, तीन चाकू, दो लोहे का चापड़, एक कोचनी लोहे की, एक लकड़ी का ठीहा व एक मोटर साइकिल बरामद हुई थी।

➔ इस दौरान 2 अभियुक्त अहमद पुत्र सोहराब, अलीम पुत्र अब्दुल हई निवासी मदारपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ अपने अन्य साथियों के साथ मौके से फरार हो गए थे। जिसपर थाना गम्भीरपुर मु.अ.सं. 60/20 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुकूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त इमरान उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मदारपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

उपरोक्त अभियुक्तों का गोवंशीय तस्कर गिरोह है जिनके कार्यों पर अंकुश लगाने हेतु गैंगेस्टर की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त:-

- 1.मो0 अहमद पुत्र सोहराब उर्फ इतिकुरहमान,
2. मो0 अलीम पुत्र अब्दुल हई,
- 3.इमरान उर्फ बबलू पुत्र रहमान,
4. अफसर अहमद उर्फ जुम्नन पुत्र हिसाबुद्दीन निवासीगण मदारपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0-346/22 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग दिनांक 30.09.2022 को पंजीकृत कराया गया।

➔ अभियुक्त इमरान उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मदारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उक्त मुकदमें में फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य द्वारा 20000/- रुपये पुरस्कार घोषित किया गया था।

## गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 12.11.2022 को उ0नि0 विद्याशंकर पाण्डेय मय हमराह व स्वाट टीम द्वारा फरार चल रहे अभियुक्त इमरान उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मदारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को नरौली तिराहे से 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 415/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

## पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 415/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

## गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इमरान उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मदारपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

## आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0- 60/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गम्भीरपुर
- 2.मु0अ0सं0- 346/22 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर
- 3.मु0अ0सं0- 415/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

## बरामदगी

01 तमन्चा 315 बोर, 02 अदद कारतूस 315 बोर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 विद्याशंकर पाण्डेय थाना सिधारी मय हमराह।
- 2.निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला हे0कां0 विनोद सरोज हे0कां0 प्रदीप पाण्डेय स्वाट टीम आजमगढ़ ।